"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी 2014— माघ 22, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/36/2014/वाक/पांच (08). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उपधारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट नियमों से, कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दिनांक 28-02-2014 तक छूट प्रदान करती हैं, यथा :-

अनुसूची

नियम जिनसे छूट दी गई (1)	वर्ष (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें (3)
नियम 20 (2) (ख) के अधीन विहित प्रारूप-18 का भाग-ग	वित्तीय वर्ष 2012-13	जबकि भाग-ग की जानकारी :- (क) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल या अधिसूचना द्वारा करमुक्त माल, या (ख) अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट माल, या (ग) अधिकतम खुदरा मूल्य पर दवाई, के छत्तीसगढ़ राज्य में क्रय या विक्रय से संबंधित हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्रमांक एफ-10/36/2014/वाक/पांच (08). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/36/2014/वाक/पांच (08), दिनांक 07-02-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 7th February 2014

NOTIFICATION

No. F-10/36/2014/CT/V(08). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts, from the rules as specified in column (1) of the Schedule below, for the year as specified in column (2), subject to the restrictions and conditions specified in column (3) upto 28-02-2014 :-

SCHEDULE

Rule from which exemption is granted (1)	Year (2)	Restrictions and conditions (3)
Part-C of Form-18 prescribed under rule 20(2)(b)	Financial year 2012-13	When the information of part-C is related with purchase or sale within Chhattisgarh State, of :- (a) Goods specified in Schedule-I or goods exempted by notification, or (b) Goods specified in S. No. 1 & 2 of part- III of Schedule-2, or (c) Medicine at maximun retail price.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.